

154

प्राख्य - सात

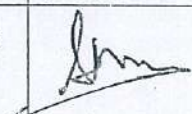
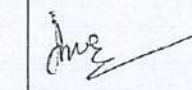
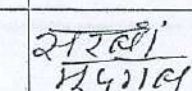
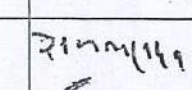
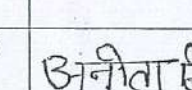
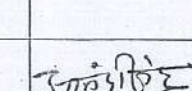
1022/23
18/7/23

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन
शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

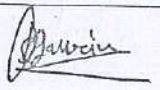
1. सोसायटी का पूरा नाम श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
और पूरा पता गौरीशंकर विद्यालय विनय नगर सेक्टर नं 3, ग्वालियर (म.प्र.)
मोबाईल नम्बर तथा मोबाईल नम्बर 9039068001
ई मेल आई डी ई-मेल आई.डी gowrishikshavikashsamiti@gmail.com
2. पंजीयन क्रमांक रजिस्ट्रेशन क्रमांक 14623
तथा तारीख पंजीयन दिनांक 12.02.1985
3. साधारण निकाय के वार्षिक साधारण सभा की बैठक
सम्मिलन की तारीख दिनांक 12.05.2023
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 15.05.2022 से तारीख 14.05.2025 तक

(वर्तमान कार्यकारिणी की सूची)

क्रमांक	नाम, पिता पति का नाम	पता	मोबाईल नं	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
1	श्रीमतीशकुन राजौरिया श्री हरीश राजौरिया	विनयनगर सेक्टर नं 3 ग्वालियर म.प्र.	9826127349	अध्यक्ष	गृहणी पदपूर्ति 12.05.2023से	
2	जगमोहन शर्मा श्री सुखदेव शर्मा	बाहर वीधा विनय नगर ग्वालियर म.प्र.	9753441744	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	
3	राकेश राजौरिया स्वश्री भेवाराम राजौरिया	विनय नगर सेक्टर 3 ग्वालियर म.प्र.	9826273727	सचिव	शिक्षणकार्य	
4	श्रीमती सरला मुदगल स्व श्री हेमंत मुदगल	विनय नगर सेक्टर 3 ग्वालियर म.प्र.	9926541133	कोषाध्यक्ष	शिक्षणकार्य	
5	राजनारायण पाण्डेय स्व श्री के एस पाण्डेय	एमआईजी 323 दर्पण कॉलोनी, धाटीपुर, ग्वालियर	9425109940	संयुक्तसचिव	कृषि	
6	श्रीमती अनीता मिश्रा श्री हरीश मिश्रा	गणेशपुरा मुरैना	919131846747	सदस्य	गृहणी पदपूर्ति 12.05.2023से	
7	आनन्द सिंह तोमर श्री दिग्विजय सिंह	चना कोठार लश्कर ग्वालियर म.प्र.	9617639908	सदस्य	एडवोकेट	

नोट:-मं० प्र० सो० र० अधि० 1973 की
धारा-29 के अन्तर्गत जारी नकल

18.07.23
M.J. GURESHI
Asstt. Registrar
Firms & Societies
Gwalior-Chambal Div.
Gwalior (M.P.)

8	संस्था प्रभु / प्राचार्य	गौरिशंकर उ.मा.वि. विनयनगर ग्वालियर		पदेन सदस्य	सर्विस	
9	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला ग्वालियर		पदेन सदस्य	सर्विस	
10	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.	जिला ग्वालियर		पदेन सदस्य	सर्विस	

5 मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन 2080/- रुपये की वार्षिक फीस, ऑनलाईन चालान दिनांक 22/06/2023 के माध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति जलग्न है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) UBIN053837014252262023073795

अध्यक्ष का घोषणा पत्र



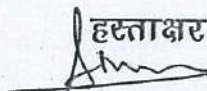
मैं श्रीमती शकुन राजौरिया पुत्र / पुत्री / पति श्री हरीश राजौरिया आरु लणभग 59 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी रहूँगा।

दिनांक 12.05.2023

नोट:-म०प्र० सो०र० अधि० 1973 की धारा-29 के अन्तर्गत जारी नकल

18-07-23

M.J. GURESHI
Asstt. Registrar
Firms & Societies
Gwalior-Chandigarh Div.
Gwalior

हस्ताक्षर

नाम- श्रीमती शकुन राजौरिया

पदनाम -अध्यक्ष
मोबाईल नंबर 9826127349

ई मेल आई डी gowrishikshavikashsamiti@gmail.com



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CB 267566

क. गोपी शंकर-दिनांक 12/2/85 मध्य प्रदेश
 14622 दिनांक 12/2/85 पञ्चायत क्रमांक 100100
 प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की
 धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत
 दिनांक 13/6/85 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
 धारा 29 के तहत प्रस्तुत शोशी नियमों की सूची की वैधानिकता
 के प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी सर्वय उत्तरदायी है। कार्यालय
 29 के तहत वेबल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है।
 धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता
 के संबंध में प्रमाण-पत्र आदेश नहीं है।

18.07.23

असि. रजिस्ट्रार,
 फर्म एवं संस्थाएँ,

५



શ્રી ગૌરી શિરો વિકાસ ઓર્ગેનિઝેશન

વિભાગ નંબર એક-3

નં. 635 તારીખ 24/6/2023

જેકીમન

સાચા અને સચોટ ઉપરોક્ત
કોમ્પ્યુટર સાધનાઓ ઉપર
રોકડો મોકલવાનું હોવાથી કમિશનર સાહેબ, ગા.
સાચા સચોટ

100/2

305132 82

સાચા અને સચોટ ઉપરોક્ત
કોમ્પ્યુટર સાધનાઓ ઉપર
રોકડો મોકલવાનું હોવાથી કમિશનર સાહેબ, ગા.
સાચા સચોટ

नि य मा व ली

- (1) संस्था का नाम : इस संस्था का नाम श्री गौरी शिक्षा विकास समिति होगा ।
- (2) संस्था का कार्यालय : गौरीशंकर विद्यालय, विनय नगर, सेक्टर नं. - 3 ग्वालियर (म.प्र.)
- (3) संस्था का कार्यक्षेत्र : संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण ग्वालियर व चम्बल संभाग रहेगा ।

(4) उद्देश्य :

- (अ) जन-साधारण में शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के साधन उपलब्ध कराना ।
- (ब) इस हेतु विभिन्न स्तर की शिक्षा संस्थाएँ चलाना पुस्तकालय एवं वाचनालय प्रारम्भ करना तथा उद्देश्य के अनुकूल अन्य प्रकार की इकाइयों का संगठन करना ।
- (स) शासन द्वारा इस हेतु प्रदत्त विभिन्न साधनों को उपलब्ध करना ।
- (इ) ऐसे अन्य कार्य करना जो उक्त उद्देश्यों के अनुकूल समायोजित एवं आवश्यक होने पर समय-समय पर साधारण सभा द्वारा निश्चित किये हों ।
- (फ) पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का संचालन करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालयों का संचालन करना तथा आवासीय विद्यालय एवं कोचिंग कक्षाएँ तथा वृद्धा आश्रम संचालन करना ।
- (य) पर्यावरण प्रदूषण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना ।

सदस्यता :

(अ) संरक्षण सदस्य :

संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 1000/- या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

मेवादिम
अध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

रोबेश शर्मा
सचिव
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

सुधाश्री
कोषाध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

(ब) आजीवन सदस्य :

जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रुपये 500/- या अधिक देकर यह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 500/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) साधारण सदस्य :

जो व्यक्ति रुपये 1/- (एक) माह रुपये 12 प्रति वर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है, जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन-पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्माननीय सदस्य :

संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

सदस्यों की प्राप्ति :-

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

सदस्यों की योग्यता :-

संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
2. भारतीय नागरिक हो ।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

मेधाश्री
अध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

शैलेश शर्मा
सचिव
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

सुधाश्री
कोषाध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर



(8) सदस्यता की समाप्ति :-

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी ।

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल हो जाने पर ।
3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा करने पर ।
4. त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर ।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज किये जायेंगे :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।
2. यह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर ।
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(अ) साधारण सभा :

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा में बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माप तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/3 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि सम्बन्धित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव करवा जावेगा ।

(ब) प्रबन्धकारिणी सभा :

प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

मे. व. श. म.
अध्यक्ष (10)
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर
सचिव
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

सुधीशम
कोषाध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

(स) विशेष :

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

प्रबंधकारिणी का गठन :-

ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5

(अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निर्मांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) संयुक्त सचिव (5) कोषाध्यक्ष (6) सदस्य - 2

उक्त के अतिरिक्त निम्न पदेन सदस्य होंगे :-

1. संस्था प्रमुख / प्राचार्य
2. जिला शिक्षा अधिकारी
3. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

प्रबंध समिति का कार्यकाल :-

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।



अध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

सचिव
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

कोषाध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
- (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।



कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये ।

संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी ।

- (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उचित प्रस्ताव पारित कर पिंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

अध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

उपाध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :-

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन-पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।
2. समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समुख्य प्रस्तुत करना ।

म.व. 214
अध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, पालीवर

रमेश राजा
सचिव
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, पालीवर

सुधावामी
(16)
कोषाध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, पालीवर

3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 500/- खर्च करने का अधिकार होगा ।

(18) कोषाध्यक्ष के अधिकार :-

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

(19) बैंक खाता :-

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी । धन का आहरण मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 200/- रहेंगे ।

पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

(21) संशोधन :-

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

(22) विघटन :-

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

(23) सम्पत्ति :-

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

(24) बैंक खाता :-

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

(25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-

संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य स्तर से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

मेवाराम
अध्यक्ष
श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.



विवाद :-

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

रोमेश शर्मा

सचिव

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

सुधाशर्मा

कोषाध्यक्ष

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

14-14623

12-2-85

14.03.2001

सहा. पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं,
ग्वालियर एवं चम्बल संभाग, मध्य प्रदेश

रूप क्रमांक-1

देखिए नियम -3

1. समिति का नाम : इस समिति का नाम श्री गोरी शिक्षा विकास समिति होगा ।
2. समिति का कार्यालय : गोरीशंकर विद्यालय, विनय नगर सेक्टर नं.3 ग्वालियर.
3. समिति का कार्यक्षेत्र : समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण ग्वालियर व चम्बल संभाग रहेगा ।

4. उद्देश्य : समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

अ. जन साधारण में शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के साधन उपलब्ध कराना ।

ब. इस हेतु विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाएँ चलाना, पुस्तकालय एवं वाचनालय प्रारम्भ करना तथा उद्देश्यों के अनुकूल अन्य प्रकार की इकाईयाँ का संगठन करना ।

स. शासन द्वारा इस हेतु प्रदत्त विभिन्न साधनों को उपलब्ध कराना ।

द. ऐसे अन्य कार्य करना जो उक्त उद्देश्यों के अनुकूल समायोजित एवं आवश्यक होने पर समय-समय पर साधारण सभा द्वारा निश्चित किये हों ।

इ. प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का संचालन करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालयों का संचालन करना तथा आवासीय विद्यालय एवं कोचिंग कक्षाएँ का तथा बृद्ध आश्रम का संचालन करना ।

फ. व्यवसायिक परीक्षण केन्द्र, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टायपिंग, कम्प्यूटर, संगीत, पेंटिंग एवं कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर व टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना । व व्यवसायिक महाविद्यालयों का संचालन करना ।

ल. पर्यावरण प्रदूषण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना ।

म. समिति के प्रबन्ध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबन्ध साधक परिषद, संचालक समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम व पते तथा धन्यों का उल्लेख निम्नांकित है

क्रमांक	नाम	पता	पद	छान्छा
1.	श्री रामनारायण शर्मा	ग्राम बहुआ पोस्ट बरहद तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड (मोप्रो)	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री ओमप्रकाश लखरे	राममंदिर चौराहा फालका बाजार लशकर, ग्वालियर	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	श्री राकेश राजौरिया	शेख की बगिया नई सड़क सड़क लशकर, ग्वालियर	सचिव	अभिभाषक

4.	श्रीमती सुषमा देवी	शांतिनगर नई सड़क लश्कर ग्वालियर	संयुक्त सचिव	सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री हरीस राजौरिया सदस्य	लक्ष्मी निवास जीवाजीगंज लश्कर ग्वालियर.	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री अयोध्याप्रसाद थापक	ग्राम पोस्ट गोरमी तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड	सदस्य	कृषि
7.	श्री रामेश्वर दयाल गुर्बनिया	ग्राम व पो. मंगरौल तहसल सेवड़ा जिला - दतिया	सदस्य	कृषि
8.	श्री गोपीनाथ दुवे	जीवाजीगंज लश्कर ग्वालियर	सदस्य	व्यापार
	श्री लक्ष्मण प्रसाद लिखार	नई सड़क लश्कर ग्वालियर	सदस्य	व्यापार
	श्री रामस्वरूप पलिया	शिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर	सदस्य	पण्डितई
	श्री रविन्द्र कटारे	नया बाजार लश्कर ग्वालियर	सदस्य	नोकरी
12.	श्री बालमुकुन्द शर्मा	ग्राम व पो. कतरोल तहसील - मेंहगांव जिला भिण्ड (म0प्र0)	सदस्य	कृषि
	श्री मनीराम राजौरिया	ग्राम रसनौल पो. बरौली तह. गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)	सदस्य	कृषि
14.	श्री देवीराम	निम्बालकर की गोठ नं.1 लश्कर, ग्वालियर	सदस्य	समाज सेवा
	श्रीमती द्रोपदी बाई	ग्राम रसनौल पो. बरौली तह. गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)	सदस्य	समाज सेवा

6.

समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की प्रमाणित प्रति जैसा कि म0प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का क्रमांक-44) की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अप्रेक्षित है संलग्न है। हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे लिखे हैं समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है और ज्ञापन पत्र के साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं :-

क्र.	निर्माणकर्ता का नाम व पता	हस्ताक्षर	साक्षी का नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	श्री राकेश राजौरिया हेम की बगिया नई सड़क, लश्कर.	हस्ता.	1. श्रीराम स्वरूप पलिया शिनदे की छावनी लश्कर	हस्ता.
2.	श्री रामनारायण शर्मा ग्राम बहुता पो. बरहद मेंहगांव, जिला भिण्ड	हस्ता.	श्री लक्ष्मणप्रसाद लिखार नई सड़क लश्कर	हस्ता.
3.	श्री ओमप्रकाश लखेरे राम मंदिर चौराहा फातका बाजार, लश्कर	हस्ता.	श्री गोपीनाथ दुवे जीवाजीगंज लश्कर	हस्ताक्षर
4.	श्रीमती पुष्पा देवी शान्ति नगर नई सड़क लश्कर, ग्वालियर	हस्ता.	4. श्री हरीश राजौरिया लक्ष्मी निवास जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर	हस्ता.
5.	श्री हरीश राजौरिया लक्ष्मी निवास जीवाजीगंज लश्कर, ग्वालियर	हस्ता.	5. श्री ओमप्रकाश लखेरे राम मंदिर चौराहा लश्कर,	हस्ता.
6.	श्री लक्ष्मण प्रसाद लिखार नई सड़क लश्कर, ग्वालियर	हस्ता.	6. श्री रविन्द्र कटारे नया बाजार लश्कर, ग्वालियर	हस्ता.
7.	श्री गोपीनाथ दुवे जीवाजीगंज, लश्कर ग्वालियर	हस्ता.	श्री राकेश राजौरिया शेक की बगिया नई सड़क लश्कर, ग्वा.	हस्ता.
8.	श्री रामस्वरूप पलिया शिनदे की छावनी लश्कर ग्वालियर	हस्ता.	8. श्री राम नारायण शर्मा ग्राम व बहुआ पोस्ट बरहद तह. मेंहगाव-भिण्ड म0प्र0	हस्ता.
9.	श्री रविन्द्र कटारे नया बाजार, लश्कर	हस्ता.	9. श्रीमती सुष्मा देवी शान्तिनगर नई सड़क, लश्कर	हस्ता.
10.	श्रीमती द्रोपदी बर्ड ग्राम रसनौल पो. बरीली तहसील गोहद भिण्ड म0प्र0	हस्ता.	10. श्री देवीराम निम्बालकर की गोठ नं.1 लश्कर, ग्वालियर	



अध्यक्ष

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

रमेश राजौरिया

सचिव

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

सुधाश्री

कोषाध्यक्ष

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

11. श्री रामेश्वर दयाल
गुधेनियां
ग्राम व पो. भगरोल
तहसील सेवड़ा, जिला दतिया

हस्ता. श्री मनीराम राजौरिया
ग्राम रसनौल पो.ओ.
बरोली तहसील गोहद
जिला भिण्ड

हस्ता.

12. श्री अयोध्या प्रसाद थापक
ग्राम व पो. गोरमी
तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड

हस्ता. श्रीमती द्रापदी बाई
ग्राम रसनौल पो. बरोली गोहद
भिण्ड

हस्ता

हस्ता. श्री रामेश्वर दयाल
गुधेनिया ग्राम व पो. भगरोल
तहसील सेवड़ा जिला दतिया

हस्ता.

हस्ता. श्री बालमुकुन्द शर्मा
ग्राम व पो. कतरौल
तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड

हस्ता

हस्ता. अयोध्या प्रसाद थापक
ग्राम व पो. गोरमी
तहसील मेंगांव जिला भिण्ड

हस्ता.

श्री बालमुकुन्द शर्मा
ग्राम व पो. कतरौल
तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड
श्री मनीराम राजौरिया
ग्राम रसनौल पो. बरोली
गोहद जिला भिण्ड
अध्यक्ष
श्री देवीराम
निम्बालकर की गोठ
लशकर ग्वालियर

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

15.

श्री देवीराम
निम्बालकर की गोठ
लशकर ग्वालियर

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

श्री गौरी शिक्षा विकास समिति
विनय नगर, ग्वालियर.

R.M-14623
12/2185

ग्रामाधिकारी

14.03.2001

सहा. फजौयक
फार्मस एवं संस्थाएं,
ग्वालियर एवं बम्बल संमान ग्वालियर

10Rs.



89 36 15/2/01
10/

श्री गौरी शिक्षा विद्यामन्दिरी
विगत गणत उवाचिन्



राज कुमार जंग

विज्ञान विभाग

राज कुमार जंग

राज कुमार जंग

विज्ञान विभाग

राज कुमार जंग

राज कुमार जंग
विज्ञान विभाग
राज कुमार जंग